कोलकाता घोषणापत्र २०१८ :प्रवासी और शरणार्थी समस्याओं के उपर एक प्रस्ताव

महानिर्वाण कोलकाता रिसर्च ग्रुप

३० नवम्बर २०१८

प्रवासी और शरणार्थी समस्याओं को लेकर पारित न्यूयॉर्क घोषणापत्र (२०१६) में शरणार्थी और प्रवासियो के सुरक्षा सम्बंधित मामलों के ऊपर नये सिरे से आलोचना पे ज़ोर डाला गया. इक्कीसवी सदी में बदलते हुए परिस्थितिओं को इयाद रखते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) ने २०१६ में प्रबसन और शरणार्थी समस्यायों को ले कर दो अलग समझोतापत्र जारी (Global Compacts) कर चूका था . हाला की, संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जरी इन दो समझोतापत्र में कितना अंतर होगा और यह दो समझोतापत्र क्या क्या संभावना व द्वन्द का आभास देगा हैं इस बारेमें लोगों के मन में बहुत सवाल हैं . कोलकाता में रोज़ा लुक्सेम्बुर्ग प्रतिष्ठान (Rosa Luxemburg Stiftung) के सहायता से महानिर्वाण कलकत्ता रिसर्च ग्रुप द्वारा नवम्बर में आयोजित शरणार्थी और प्रवासियो के वैश्विक सुरक्षा व्यबस्था सम्बंधित बिषयों को ले कर एक छे दिवसीय अंतराष्ट्रीय कर्मशाला एबं अलोचनाचक्र (Global Protection System for Refugees and Migrants, 2018) में आंचलिक तथा विस्वब्यापी स्तर पे शरणार्थी तथा प्रवासी समस्या को ले कर उठते हुआ सवालों का जवाब खोंजा गया . इस कर्मशाला तथा अलोचनाचच्क्र में विस्व के १८ देशों से आया हुआ १०१ ब्यक्तियो ने भाग लिया . इनमे शिक्षाबिद, मनाबाधिकार से जुड़े बिषयों पर काम करनेवाले अधिकारी, पत्रकार और सामाजिक आंदोलनकर्मी शामिल थे . छे दिन ब्यापी यह कर्मशाला तथा आलोचनाचक्र के अंत पर ३० नवम्बर २०१८ को इस विषय पर एक प्रस्ताब पारित किया गया .

विस्वब्यापी शरणार्थी और प्रवासीओं के सुरक्षा को ले कर आयोजित इस कोलकाता आलोचनाचक्र (Kolkata Conference) यह मानता हैं के,

- पिछले एक दशक से विस्वब्यापी शरणार्थी और प्रवासियो की समस्याओं में ना ही सिर्फ बढ़ोतरी हुयी हैं बल्कि यह इतना जटिल हो गया हैं के मानव अधिकार व असहायों की सुरक्षा सम्बंधित सारे अंतराष्ट्रीय ब्यबस्था इस उभरते हुए संकट के सामने फीका पड़ रहा हैं . दशकों के प्रयास के बाद भी शरणार्थी और प्रवासियो को अपने प्रांतीय तथा ग़ैरमामूली दर्जे से उठाने का सभी प्रयास व्यर्थ हो चूका हैं . ऐसी परिस्थिति में वैश्विक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी (Global Responsibility to Protect) जैसे तत्व असाधारण होते हुए भी अकीर्तिकर अंत के तरफ़ बढ़ रहा हैं. इस बिच बहुत उपेक्षा के बावजूत शरणार्थी और प्रबसिओं के सुरक्षा और सम्मान के अधिकार को ले कर स्थानीय, आंचलिक, प्रथागत, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्तर पर कुछ कीमती प्रयास अभीभी जारी हैं;

- विश्व के सभी राष्ट्रों में बढ़ता हुआ जनप्रबाह और उसके जटिल और महत्वपूर्ण चरित्र के वजह से अलग से शरणार्थी और प्रवासियो को लेकर प्राथमिक द्वायित्व लेने के विषय पर कुछ राष्ट्रों की अनिच्छुक मानसिकता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) ने शरणार्थी और प्रवासियो के सुरक्षा हेतु लिए गये दो प्रस्तावित दो समझोतापत्र (Global

Compacts on Refugees and Migrants) में राष्ट्र के अलावा समाज में बसनेवाले नागरिक तथा व्यवसायी क्षेत्रों को शरणार्थी तथा प्रवासियो के सुरक्षा देने के पुराने पद्धति के बारे में नए सिरे से चिन्ता करने के लिए आवेदन किया गया हैं;

- भौगलिक स्थान में बदलाव शरणार्थी और प्रवासिओं के सुरक्षा में भी बहुत अंतर ले आता हैं . जैसे की अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जानेवाला कोई इलाका, तीसरे विश्व का कोई राष्ट्र , उत्तेजनापूर्ण इलाका, दोनों राष्ट्र के बीच सीमांत इलाका,श्रम अधिकार के विषयों को उपेक्षा करने वाला कोई क्षेत्र व फिर विश्व-अर्थशास्त्र में वर्णित जन कल्याणकारी नीति समूह को मानके चलनेवाला इलाका तथा प्रतिरक्षा या आर्थिक नज़रिया से महत्वपूर्ण माना जानेवाला इलाके में शरणार्थी और प्रवासियो के प्रति आचरण मे दीखाई देनेवाला फ़र्क में कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने शरणार्थी और प्रवासियो के स्वार्थ का देखभाल को विश्व-उन्नयन का एक मापदंड तैर किया हैं;

- यह तैर किया गया हैं के धर्म, जाति, वर्ग, यौन व लिंग निर्भर परिचय तथा सार्विक सक्षमता के मापदंड पे कोई भेदभाव बरदास्त नही किया जायेगा. शरणार्थी, प्रवासी, तथा ख़ास तोर से राष्ट्र द्वारा वर्जित महिलाओं की राजनैतिक, समाजिक पक्ष लेने का अधिकार तथा व्यक्तिगत और नागरिक अधिकारों के ऊपर बहुसंख्यक व सांस्कृतिक अखंडता जैसे विषयों पर बिस्वास रखने वाले पुरुष या अन्य कोई लिंग का कोई भी प्रभुत्व्कामी मनोभाव अस्वीकार्य हैं ;

- ऊपर में वर्णित विषयों पर ही पूरी दुनिया का शरणार्थी और प्रवासी सम्प्रदाय की आर्थिक स्थिति निर्भर करता हैं, और यह दर्शाता है के-
  क) शरणार्थीओं, किसी भी तरह के दबाव के बजह से प्रबसन करने पर मजबूर लोग, अवैध प्रवासी एबं आभ्यंतरिक बिस्थापित व्यक्ति या समुदाय (Internally Displaced Persons) हुए लोगों के बिच एक गहरा सम्पर्क हैं;

  ख) जैसे के शरणार्थी सम्प्रदाय की अपनी अर्थनीति और अनौपचारिक अर्थव्यबस्था में बना हुआ सम्पर्क;

  ग) औपचारिक और अनौपचारिक श्रम के बीच बना हुआ संपर्क;
  एबं
  घ) इसी बजह से शरणार्थी और प्रवासी श्रमिकों को किसी भी गणतांत्रिक राजनैतिक अधिकारों के दायरे से दूर रखके उसे राष्ट्रिय तथा विस्व अर्थव्यबस्था का अंश बनाया जाता हैं;
  एबं
  ङ) इस तरह के लोगों को शरणार्थी एबं अनपेक्षित विदेसी के रूप में दर्शाने के लिए जाति, वर्ग, लिंग तथा धर्म जैसे विषयों को सामने लाया जाता हैं ;

च) इस विषय को नज़र रखते हुए श्रमिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार तथा न्याय की बहुस्तरीय मानदंड की धारणा को एकसाथ लाने की सख़्त ज़रूरत हैं ;

छ) ता की संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रचारित शरणार्थी और प्रवासियो के स्वार्थ पर आधारित विश्वब्यापी नागरिक सुरक्षा के धारणा को न्याय या आज़ादी के अनुरूप तात्पर्य मिल सके;

- हालांकी आधुनिक राष्ट्रब्यबस्था में किसी भी मनुष्य को कोई ना कोई राष्ट्र का सदस्य माना जाता हैं, फिर भी लगातार तादाद में बड़ता हुआ राष्ट्रवर्जित लोगों की संख्या यह दर्शाती हैं के आज भी कितने लोग किसी भी राष्ट्र के तरफ़ से मिलनेवाली किसी भी तरह की सुरक्षा से वंचित हैं . राष्ट्रवर्जित समुदायों के समस्याओं को सुलझाने के लिए यथायोग्य अंतराष्ट्रीय कानूनी ब्याख्या होने पर भी यह शरणार्थीओं के समस्याओं के उपर अपना प्रभाव जता रहा हैं . इस बजह से किसी किसी राष्ट्र में बहुत दिन से रहनेवाले शरणार्थीओं को आजकल राष्ट्रवर्जित समुदाय का दर्जा दिया जा रहा हैं. ऐसे ही शरणार्थी और राष्ट्रवर्जित समुदाय के बिच का फ़ासला धीरे धीरे ख़तम हो रहा हैं . इसके आलावा विश्व के किसी किसी राष्ट्र में नागरिकता संबंधीत नीतिओ में नये तबदीली लाने के बजह से बहुत दिन से रहनेवाले किसी विशेष सम्प्रदाय या जन-समुदाय के नागरिक अचानक से राष्ट्रवर्जित समुदाय बन जाते हैं. विश्व के कई राष्ट्र में एक तरफ़ बहुसंख्यक सम्प्रदायों के प्रति लगाव और दूसरी तरफ़ अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भेदभाव के मनोभाव से बनाया हुआ नये नागरिकता संबंधी नियमो में किसी किसी इलाका, या क्षेत्रके पुनर्गठन पर ज़ोर डाला गया हैं. ऐसी नीतिओं के वजह से राष्ट्रवर्जित समुदाय व लोगों का संख्या बड़ी तादाद नज़र आने लगा हैं;

- ख़ास तौर से दक्षिण एशिया में कई राष्ट्रों के बिच सीमा को लेकर विवादों के चलते नागरिकता संबंधी कानूनों में बदलाव लाकर और भी सख्ती आरोप किया जा रहा हैं . ऐसे कानूनों के बजह से भिन्न (अल्पसंख्यक समुदायों की) संस्कृति व भौगलिक विचार से प्रांतीय इलाके में बसे हुए लोगों को “राष्ट्रवर्जित समुदाय” बनने के तरफ़ धकेला जा रहा हैं .और ऐसे ही दक्षिण एशिया एक कई राष्ट्रों में राष्ट्रवर्जित समुदाय अध्युषित इलाको में बढ़ोतरी हो रहा हैं . बिभिन्न राष्ट्रों के बिच बड़ी तादाद से चलता हुआ औपचारिक एबं अनौपचारिक तौर से श्रमिकों का प्रवसन इस विषय पर एक दूसरा पहलु जोड़ दिया हैं. प्रवासी श्रमिको को कम देनेवाला राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्र से (जो के प्रवासी श्रमिकों का अपना राष्ट्र हैं) उन प्रवासी श्रमिकों का यथायोग्य प्रत्यागमन का लगातार ठुकराया जानेवाला दावा पड़ोसी राष्ट्र से आये हुए प्रवासी श्रमिकों को भी “राष्ट्रवर्जित समुदाय” बनाने पे तुला हुआ हैं ;

- विस्ब्यापी प्रचलित क़ानूनी ब्यबस्था सामग्रिक तौर पे राष्ट्रवार्जितो की समस्याओं का हल निकालने में नाकामियाब साबित हुआ हैं . पुरे विश्व ख़ास तौर से दक्षिण एशिया के उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रों में इस तरह के विषय को लेकर पाया गया अनुभव येही दर्शाती हैं के राष्ट्रवार्जितो के लिए बने हुए कानूनों में सुधार लाने की पहल बेहद ज़रूरी हैं. विश्व के

बिभिन्न राष्ट्र में वर्त्तमान समय में प्रचलित सामाजिक और अंतराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर दिए गए अदालत की राय यह सूचित करती है के विश्व के बिभिन्न प्रांत के राष्ट्रवर्जित समुदाय के अलग अलग कानून बनाना बेहद ज़रूरी हैं ;

- एक तरफ़ इराक़, सीरिया, इजराइल-फिलिस्तीन, येमेन एबं अफ़ग़ानिस्तान समेत मध्य एशिया तथा रूस की ककेशस इलाकों में लगातार चलता हुआ संघर्ष और दूसरी तरफ़ दक्षिण एबं दक्षिण-पूर्व एशिया तथा भारत महासागर से सटा हुआ इलाके के राष्ट्र समूह में नागरिता से सम्बंधित नियमों में कटौती शरणार्थी समस्याओं को और भी गंभीर रूप दे दिया हैं. म्यानमार से रोहिंग्या जनजाति के लोगों का पलायन इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में माना जा सकता हैं . अंग्रेजी शासकों से मुक्ति के वक़्त भारतीय उप-महादेश में भूखंड का बंटवारा के दौरान शुरू हुआ यह जन-प्रबाह का सिलसिला पिछले कई दशक से बरकरार रहा हैं . और इसके फ़लस्वरूप शरणार्थी, आप्रवासी श्रमिक, अवैध रूप और उद्देश्य से सीमा पार से लाया गया बच्चे,लड़किया और महिला, एबं किसी बजह से राजनैतिक शरण मांगनेवाले ब्यक्ति, परिवार व समुदाय के संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुआ हैं. हाल ही में एशिया के अन्य कई राष्ट्रों से मलेशिया, भारत और टर्की जैसे राष्ट्र में प्रवासी श्रमिकों का आगमन और उसके वजह से श्रमिक अधिकारों की उपेक्षा और कम मजदूरी देने की शिकायत के साथ साथ राष्ट्रों के बिच सीमांत संबधी समस्याओं ने शरणार्थी तथा प्रवासिओं के सुरक्षा सम्बंधित परिस्थिति में नया मात्रा ला दिया हैं. इसलिये शरणार्थी, राष्ट्रवर्जित समुदाय तथा प्रवासिओं के सुरक्षा सम्बंधित एशियाई परिस्थिति को नए दिशाओं से विचार करना ज़रूरी हो गया हैं;

- एशियाई राष्ट्रों में शरणार्थी, आभ्यंतरिक बिस्थापित ब्यक्ति या समुदाय, प्रवासी श्रमिक तथा राष्ट्रवर्जित समुदायों की यथायोग्य सम्मान तथा सुरक्षा के लिए स्पष्टरूप से समाज के बिभिन्न स्तर जैसे के नागरिक समाज, तथा शहरी इलाका, आंचलिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संवाद का शुरुआत करने का प्रयास ज़रूरी हैं;

कोलकाता घोषणापत्र (२०१८) यह ऐलान करता है के,

१. एक जगह से दुसरे जगह जाने अधिकार (Right to Move) एक सार्वभौमिक मानवीय अधिकार हैं और किसी भी राष्ट्र द्वारा आरोपित कोई नीति व मापदंड पे इस अधिकार पर कोई प्रतिबंध आरोप नहीं किया जा सकता हैं

२. राष्ट्र के सरकार या किसी भी सामाजिक संस्था के तरफ़ से जारी किया गया क़ानूनी या किसी और तरह का सामाजिक सुरक्षा के इंतेज़ाम में शरणार्थी, प्रवासी, राष्ट्रवर्जित समुदाय तथा किसी भी तरह से विस्थापित कोई भी ब्यक्ति या समुदायों की सुरक्षा ख़याल रखना ज़रूरी हैं.

३. अगर स्थानीय या आंचलिक स्तर पर शरणार्थी, प्रवासी या अन्य समुदायों के सुरक्षा के लिए कोई प्रचलित व्यवस्था हैं तो विश्व स्तर पर इस विषय पर लाया गया किसी भी तरह के प्रस्ताब व समझोता में उसे अवस्य स्वीकार करना होगा. ऐसी समस्याओ का हल निकालने के लिए पारित किये गये किसी भी प्रस्ताव से पहले संवाद बेहद ज़रूरी हैं और ऐसी संवाद में

शरणार्थी, आभ्यंतरिक बिस्थापित ब्यक्ति व समुदाय, प्रवासी श्रमिक तथा राष्ट्रवर्जित समुदायों को अपने पक्ष में बोलने का अधिकार रहना चाहिए;

४. जाति, वर्ग , धर्म, लिंग-भेद, यौन परिचय तथा सामग्रिक सक्षमता जैसे भेदभाव पैदा करनेवाले आदर्श , जो के समग्र मानवजाति के अधिकार और सम्मान के लिए हानिकारक हैं, किसी भी सुरक्षा व्यबस्था में उसका प्रतिरोध करने का इंतेज़ाम आवश्यक हैं;

५. अपने स्वार्थ के लिए समझोते में कोई भी तब्दीली करना व किसी भी जन-समुदाय को हिंसा व और किसी उपाय से विस्थापित करनेवाले राष्ट्र या ब्यक्ति व प्रतिष्ठान के ख़िलाफ़ अवस्य कारवाई करना पड़ेगा;

६. अनौपचारिक श्रमिकों के तौर पे काम करनेवाले शरणार्थी, प्रवासी व राष्ट्रवर्जित समुदाय के नागरिकों को सभी सामाजिक एबं अर्थनैतिक अधिकार मिलना चाहिए;

७. राष्ट्रवर्जित समुदाय की नागरिक अधिकार को सुरक्षित करना आवश्यक वैश्विक ज़िम्मेदारी के तौर से देखा जाना चाहिए;

८. पुरे एशिया में बलपूर्वक प्रवसन तथा राष्ट्रवर्जित समुदायों का विस्तार को देखकर यह प्रस्ताव किया जाता हैं के एशिया में इन सम्प्रदायों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए मानव और जन-अधिकार से सम्बंधित अफ़्रीकी घोषणापत्र (African Charter of Human and Peoples Rights) के तरह एक आंचलिक स्तर पर एक घोषणापत्र संरचना करने की ज़रूरत हैं . इस घोषणापत्र में प्रवासी, शरणार्थी, राष्ट्रवर्जित समुदाय तथा राजनैतिक कारणों से आश्रय मांगने वाले व्यक्ति व समुदायों के मानव और श्रम अधिकारों को निश्चित करके सबको सम्मान के साथ ज़िंदगी जीने का अधिकार निश्चित किया जायेगा .

साक्षरकर्ता

अभिजित सेन (भारत); सुदीप बासु (भारत), तानिया दास (भारत); लॉरेन्स ज़ुमा (दक्षिण अफ्रीका); अपाला कुंडू (भारत), अदिति मुखर्जी (भारत); समरेश गुच्छाइत (भारत), सुनील कुमार कुंडू (भारत); एज़ियो पगलिया (इटली); एना दनेत्री (इटली); महाप्रभु सेन(भारत); स्टेफ़नी क्रण (जर्मनी); सुभाष हलदार (भारत); देबाशिस दास (भारत); शुभोजीत बागची (भारत); नीलांजना चक्रबर्ती (भारत); अंतिया स्तेइबित्ज़ (जर्मनी); पि दत्ता रॉय (भारत); राजकुमार नागराजः (श्रीलंका); यासिन्ता कोएल्हो (ऑस्ट्रेलिया); मेलिसा ज़ु (ऑस्ट्रेलिया); दिशा घोष (भारत); रुचिका गुप्ता (भारत); ज्योत्सना श्रीवास्तव (भारत); शांति सरकार (भारत); रणवीर समाद्दार (भारत); सोम निरुला (नेपाल); मुजीब अहमद अज़ीज़ी (अफ़ग़ानिस्तान); जेनिफ़र हेईनमन (कनाडा); विलियम वाल्टर्स (कनाडा);

इल्टी अब्राहम (सिंगापुर); झुम्पा बोस (भारत); डेविड न्यूमेन (इजराइल); सुचरिता सेनगुप्ता (भारत); राणु बासु (कनाडा); फेदेरिको रहोला (इटली); अरूप कुमार सेन (भारत); अंकिता मान्ना (भारत); अशोक कुमार गिरि (भारत); नसरीन चौधरी (भारत); जी. एम्. अरिफुज्ज़मान (बांग्लादेश); साजिद अहमद फहरुद्दीन (श्रीलंका); बुद्धा सिंग केपछाकी (नेपाल); सोमदत्ता चक्रवर्ती (भारत); मौसुमी चेटिया (भारत); मुहम्मद इब्राहीम वणी (भारत); श्यामलेंदु मजुमदार (भारत); सानिया बोजानिक (क्रोएशिया); एंजेला स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया); राज कुमार महतो (भारत); रोमा सिंग (भारत); मेघा सिंग (भारत); स्वातिलेखा भट्टाचार्य (भारत); मिशेल शेन (ऑस्ट्रेलिया); वि के त्रिपाठी (भारत); पाओलो नोवाक (यूनाइटेड किंगडम); श्रीतपा चक्रबर्ती (भारत); रेशमी बनर्जी (भारत); एस इरुदया राजन (भारत), सब्यसाची बसु रे चौधुरी (भारत); माइकेल फेइनर (भारत); समता बिश्वास (भारत); अजीत कुमार पंकज (भारत); जर्जिया डोना (यूनाइटेड किंगडम); रजत राय (भारत); जेनाइना गाल्भो (ब्राज़ील); म्यटन कमिनर(अमेरिका); इन्द्रजीत मजुमदार (भारत); सागर बिश्वास (भारत); देवांजन कर (भारत); आई आचारिया (भारत); तन्मय मालाकार (भारत); शिवाजी प्रतिम बासु (भारत); कटिया भस (जर्मनी); योंर्ग शुल्ज़ (जर्मनी); सुशील कुमार (भारत); शिवाशिस चटर्जी (भारत); अमिताभ भट्टशाली (भारत); प्रशांत राय (भारत); अनसुआ बसु रे चौधुरी (भारत); शिप्रा मुखर्जी (भारत); के बंद्योपाध्याय (भारत); रूपश्री जोशी (नेपाल); अब्दुल कलाम आजाद (भारत); बिनीता कुमारी (भारत); सहाना बासवपल्ला (भारत); सुदीप्त सेनगुप्ता (भारत); पीटर बोज़ानिक (भारत); आयेशा चालर (ऑस्ट्रिया); मेघना गुहाठाकुरता (बांग्लादेश); आइरिन पियेनो (पुर्तगाल); रबिन डा (भारत); शताब्दी दास (भारत); संजीदा जेसमीन (भारत); उर्मी मुखोपाध्याय (भारत); अनीता सेनगुप्ता (भारत); प्रिया सिंग (भारत); रतन चक्रबर्ती (भारत); शुभश्री राउत (भारत).